"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2017—पौष 30, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2016

क्रमांक ई-1-13/2014/1/2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12-03-2015 द्वारा श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997) जो तत्समय भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थी, को दिनांक 01-01-2013 से अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 10000/-) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997) को उनसे कनिष्ठ अधिकारी, श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997), (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण तिथि अर्थात 29-09-2012 से, अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 10000/-) में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक ई-1-20/2016/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(2) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-12) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती शारदा वर्मा (2008)	01-01-2017	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार-भाटापारा.
2.	श्री भीम सिंह (2008)	01-01-2017	कलेक्टर, सरगुजा	कलेक्टर, सरगुजा
3.	श्री राजेश सिंह राणा (2008)	01-01-2017	कलेक्टर, बालोद	कलेक्टर, बालोद
4.	श्री नीरज कुमार बंसोड (2008)	01-01-2017	कलेक्टर, जिला-सुकमा	कलेक्टर, जिला-सुकमा
5.	श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी (2008)	01-01-2017	उप सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.
6.	श्री महादेव कावरे (2008)	01-01-2017	महाप्रबंधक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अति. प्रभार.	महाप्रबंधक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अति. प्रभार.
7.	श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा (2008)	01-01-2017	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई.
8.	श्री श्याम लाल धावड़े (2008)	01-01-2017	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित तथा संचालक, ग्रामोद्योग का अतिरिक्त प्रभार.	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित तथा संचालक, ग्रामोद्योग का अतिरिक्त प्रभार.
9.	श्री हीरालाल नायक (2008)	01-01-2017	अपर कलेक्टर, बस्तर	अपर कलेक्टर, बस्तर
10.	श्री नीलकंठ टीकाम (2008)	01-01-2017	उप सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा उप सचिव, जल संसाधन विभाग का अति. प्रभार.	संयुक्त सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग का अति. प्रभार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	श्री चंद्रकांत उइके (2008)	01-01-2017	संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं वक्फ सर्वे आयुक्त का अति. प्रभार.	संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं वक्फ सर्वे आयुक्त का अति. प्रभार.

2. सरल क्रमांक 6, 7, 8 तथा 11 पर दर्शित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाए नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. उपरोक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-Non Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यत: भाग लेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक ई-1-16/2016/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) (iii) के परन्तुक के अंतर्गत उनके सम्मुख दर्शित तिथि से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700/-) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-13) में पदोन्नत किया जाकर नवीन पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सुश्री रीता शांडिल्य, भा.प्र.से. (2003)	01-01-2016	कलेक्टर, जिला बेमेतरा	कलेक्टर, जिला बेमेतरा
2.	सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. (2004)	01-01-2017	आयुक्त, वाणिज्यिक कर छ.ग. रायपुर तथा संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का अति. प्रभार.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर छ.ग. रायपुर तथा विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का अति. प्रभार.
3.	श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004)	01-01-2017	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर.	संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर.
4.	श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (2004)	01-01-2017	कलेक्टर, बस्तर	कलेक्टर, बस्तर
5.	श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004)	01-01-2017	कलेक्टर, बिलासपुर	कलेक्टर, बिलासपुर
6.	सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004).	01-01-2017	कलेक्टर, रायगढ़	कलेक्टर, रायगढ़
7.	श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, भा.प्र.से. (2004)	01-01-2017	संयुक्त सचिव, वन एवं सा.प्र.वि.	विशेष सचिव, वन एवं सा.प्र.वि.
8.	श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2004).	01-01-2017	प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मंडी बोर्ड.	प्रबंध संचालक, कृषि विपणन मंडी बोर्ड.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	श्री निरंजन दास, भा.प्र.से. (2004)	01-01-2017	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
10.	श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2004)	01-01-2017	आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर.	आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर.

2. सरल क्रमांक 3 तथा 8 पर दर्शित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाए नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्रमांक ई 1-01-2016/1-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा सुश्री रानू साहू, भा.प्र.से. (2010), अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-7/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2016/1446, दिनांक 28-11-2016 एवं 37-29/तीन (एक)-3/पंचा.निर्वा./2016/1449 दिनांक 28-11-2016 द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निम्नतालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 27 दिसंबर, 2016, दिन मंगलवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा :—

आम निर्वाचन-2016

क्र.	जिला	नगरपालिकाओं का नाम
1.	दुर्ग	नगरपालिक निगम, भिलाई चरौदा
2.	रायगढ़	नगरपालिका परिषद्, सारंगढ़

उप निर्वाचन-2016

क्र.	जिला	नगरपालिकाओं के नाम	वार्ड क्र.
1.	जांजगीर-चांपा	नगरपालिका परिषद्, चांपा	26
2.	कोरिया	नगर पंचायत नई लेदरी	10 एवं 11
3.	बालोद	नगर पंचायत, डौण्डी	14 एवं 15
4.	सुकमा	नगर पंचायत, दोरनापाल	12

आम निर्वाचन-2016

क्र.	जिला	विकासखंड	ग्राम पंचायत	कुल वार्ड की संख्या
1.	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	विश्रामपुरी "अ"	20
			विश्रामपुरी "ब"	17
			खरगांव	14
			जिर्रापारा	10
			बीरापारा	20

उप निर्वाचन-2016

क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच
1.	बिलासपुर	—	—	4	16
2.	मुंगेली	—	—	7	6
3.	जांजगीर-चांपा	—	—	10	27
4.	कोरबा	—	—	2	8
5.	सूरजपुर	—	—	3	29
6.	सरगुजा	—	—	2	19
7.	कोरिया	—	—	2	15
8.	रायगढ़	—	—	1	25
9.	जशपुर	—	—	3	12
10.	रायपुर	—	—	4	16
11.	बलौदाबाजार	—	1	9	15
12.	गरियाबंद	—	—	1	19
13.	महासमुंद	—	—	7	18
14.	धमतरी	—	—	6	9
15.	बेमेतरा	1	—	2	16
16.	दुर्ग	—	—	1	10
17.	बालोद	—	—	8	8
18.	राजनांदगांव	—	—	9	23
19.	कबीरधाम	—	—	5	11
20.	कोण्डागांव	—	—	0	11
21.	बस्तर	—	—	1	5
22.	कांकेर	—	1	6	142
23.	दन्तेवाड़ा	—	1	2	18
24.	बीजापुर	1	—	1	3

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त तालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 27 दिसंबर, 2016, दिन मंगलवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

3. क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.— राज्य शासन एतद्द्वारा, यह भी घोषित करता है कि, उक्त तालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 27 दिसंबर, 2016, दिन मंगलवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ 1-23/2016/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् श्री विनय कुमार सिंह, भापुसे (सीजी-1987) एवं श्री स्वागत दास, भापुसे (1987) को भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3 (2) (ii) के अंतर्गत, उनसे कनिष्ठ श्री आर. सी. श्रीवास्तव, भापुसे (1987) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 28-12-2016 से सेवा के Above Super Time Scale महानिदेशक वेतनमान अनुसूची-III के वेतन मैट्रिक्स स्तर-16 रुपये 02,05,400-02,24,400/- में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ 7/22/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-11-2016, जिसके द्वारा श्री रतन लाल डांगी, (भापुसे-2003), सेनानी 4थीं वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर को दिनांक 21-11-2016 से दिनांक 06-12-2016 तक (कुल 16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 21-11-2016 से दिनांक 02-12-2016 तक (कुल 12 दिवस) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 21-11-2016 की शेष कण्डिकायें यथावत रहेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ 7-09/2016/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनीष शर्मा, (भापुसे-2009), पुलिस अधीक्षक, धमतरी को दिनांक 02-01-2017 से दिनांक 13-01-2017 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही दिनांक 01, 14 एवं 15 जनवरी 2017 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शर्मा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, धमतरी के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शर्मा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शर्मा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मनीष शर्मा (भापुसे-2009) पुलिस अधीक्षक, धमतरी के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, धमतरी का अतिरिक्त प्रभार श्री जितेन्द्र सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्रमांक/एफ 7/16/2016/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कमलोचन कश्यप, (भापुसे-2008), पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा को दिनाक 14-12-2016 से दिनांक 17-01-2016 (कुल 35 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कश्यप आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कश्यप को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमलोचन कश्यप (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री कमलोचन कश्यप, (भापुसे-2008) पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार श्री शंकर लाल बघेल, सेनानी, 9वीं वाहिनी, छसबल, दंतेवाड़ा को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-13/2008/स्था./चार.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-05-2014 द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	जारी आदेश का सरल क्र. (2)	चयनित व्याख्याता का नाम (3)	विषय (4)	पदस्थापना का स्थान (5)	संशोधित पदस्थापना का स्थान (6)
1.	04	आरती चौबे	व्याख्याता (अंग्रेजी)	शास. पॉली. कांकेर	शास. पॉली. अंबिकापुर

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-01/2016/दस/भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती प्रियंका पाण्डेय प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 17013/21/2016/IFS-II, दिनांक 27-10-2016 द्वारा राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला टेंभुरने, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्रमांक-एफ 7-57/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2316/2379/32/2006 दिनांक 21-11-2006 द्वारा गठित खरोरा निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम पेण्ड्रावन-तालाब को अपवर्जित करती है, अनुसूची-दो में उल्लेखित ग्राम मादाडीह को शामिल करते हुए, पुनर्गठित खरोरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-तीन निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

खरोरा निवेश क्षेत्र में अपवर्जित ग्राम

ग्राम- पेण्ड्रावन-तालाब.

अनुसूची-दो

खरोरा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम - मादाडीह.

अनुसूची-तीन

खरोरा निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बरडीह, नहरडीह, खरोरा तथा खोलीडबरी ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम खोलीडबरी, खरोरा, माठ तथा मुडपार ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम मुड़पार, तिल्दाडीह, बेलदार सिवनी, नवागांव, बुडेरा, केवराडीह, मादाडीह तथा कनकी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम कनकी, सिर्री, बरडीह तथा नहरडीह ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्रमांक 2430/एफ 1-3/2016/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) के नियम एवं रेग्यूलेशन की कंडिका में प्रावधानित उपबंधों के तहत श्री अमिताभ जैन (भा.प्र.से.-1989) जो प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक क्रेडा के शासी निकाय में पदेन सदस्य नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-01-2016/1/2, दिनांक 22-12-2016 के अनुसार श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.-1993) को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्र. 33/16/2016-ईओ (एसएम-1), दिनांक 21-12-2016 के परिपालन में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किये जाने के कारण उन्हें क्रेडा के नियम एवं रेग्यूलेशन की कंडिका में प्रावधानित उपबंधों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) के शासी निकाय में सदस्य के पद से पदमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में पदेन डायरेक्टर नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमिताभ जैन (भा.प्र.से.-1989) जो प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई 1-01-2016/1/2, दिनांक 22-12-2016 के अनुसार श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.-1993) को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्र. 33/16/2016-ईओ (एसएम-1), दिनांक 21-12-2016 के परिपालन में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किये जाने के कारण उन्हें छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (4) के अंतर्गत छ.ग. स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पदेन निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमिताभ जैन (भा.प्र.से.-1989) जो प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई 1-01-2016/1/2, दिनांक 22-12-2016 के अनुसार श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.-1993) को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्र. 33/16/2016-ईओ (एसएम-1), दिनांक 21-12-2016 के परिपालन में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किये जाने के कारण उन्हें छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (4) के अंतर्गत छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पदेन निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमिताभ जैन (भा.प्र.से.-1989) जो प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई 1-01-2016/1/2, दिनांक 22-12-2016 के अनुसार श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.-1993) को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्र. 33/16/2016-ईओ (एसएम-1), दिनांक 21-12-2016 के परिपालन में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किये जाने के कारण उन्हें छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (4) के अंतर्गत छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के पदेन निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छ.ग. स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमिताभ जैन (भा.प्र.से.-1989) जो प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ.ग. स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई 1-01-2016/1/2, दिनांक 22-12-2016 के अनुसार श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.-1993) को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्र. 33/16/2016-ईओ (एसएम-1), दिनांक 21-12-2016 के परिपालन में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किये जाने के कारण उन्हें छ.ग. स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (4) के अंतर्गत छ.ग. स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पदेन निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमिताभ जैन (भा.प्र.से.-1989) जो प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई 1-01-2016/1/2, दिनांक 22-12-2016 के अनुसार श्री अमित अग्रवाल (भा.प्र.से.-1993) को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्र. 33/16/2016-ईओ (एसएम-1), दिनांक 21-12-2016 के परिपालन में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किये जाने के कारण उन्हें छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्नियम की कंडिका 77 (4) के अंतर्गत छ.ग. स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के पदेन निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS, DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 6th December 2016

No. 11813/3570/XXI-B/C.G./2016.—In compliance of Memo No. 845/Confdl./2016/I-8-6/2011 (Pt. III), Bilaspur, dated 05-12-2016 and on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby, withdrawing the services of the following members of Lower Judicial Service specified in column (2) of the schedule below from the High Court of Chhattisgarh, places them under Law and Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh and appoints them as mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :—

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Mayura Gupta, I Civil Judge Class-II, Mahasamund.	Secretary, District Legal Services Authority, Koriya (Baikunthpur).
2.	Ku. Anita Koshima, Civil Judge Class-II, Kawardha.	Secretary, District Legal Services Authority, Surguja (Ambikapur).
3.	Ku. Seema Jagdalla, I Civil Judge Class-II, Balod.	Secretary, District Legal Services Authority, Korba.
4.	Ku. Anjali Singh, Civil Judge Class-II, Baikunthpur.	Secretary, District Legal Services Authority, Rajnandgaon.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12370/3606/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिलासपुर के पद पर नियुक्त श्री संजय नामदेव, अधिवक्ता, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 12-03-2016 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12374/3606/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिलासपुर के पद पर नियुक्त श्रीमती नवनीता पाण्डेय, अधिवक्ता, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 12-03-2016 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12376/3606/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिलासपुर के पद पर नियुक्त श्री शिवानंद शेण्डे, अधिवक्ता, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 12-03-2016 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12378/3606/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिलासपुर के पद पर नियुक्त श्री कुन्दन सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 12-03-2016 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त

लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12380/3606/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, बिलासपुर के पद पर नियुक्त श्री भागवत प्रसाद साहू, अधिवक्ता, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 12-03-2016 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 का नंबर-9) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-02-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति करती है ताकि वे उक्त सारणी के कॉलम (3) एवं 04 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम/ मुख्यालय	भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की अधिकारिता स्थल	अतिरिक्त प्रभार	राजस्व संभाग	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर संभाग	सरगुजा संभाग	बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग	
2.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, दुर्ग संभाग, दुर्ग.	दुर्ग संभाग	निरंक	दुर्ग संभाग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, रायपुर संभाग, रायपुर.	रायपुर संभाग	बस्तर संभाग	रायपुर एवं बस्तर संभाग.	

2. इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

3. उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-02-2014 एवं 18-09-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कॉलम-3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम/ मुख्यालय	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धाराएं	कार्य क्षेत्र	अतिरिक्त प्रभार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर.	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बिलासपुर संभाग	सरगुजा संभाग
2.	श्री डी. एल. धुर्वे, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, दुर्ग संभाग, दुर्ग.	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	दुर्ग संभाग	निरंक
3.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, रायपुर संभाग, रायपुर.	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	रायपुर संभाग	बस्तर संभाग

2. इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

3. उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 10-5/2016/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "ई-रिक्शा सहायता योजना" होगा.

- योजना के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत असंगठित कर्मकार को ई-रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा रु. 10,000/- प्रदाय किया जावेगा.
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा रुपये 30,000/- अनुदान दिया जावेगा.
- ई-रिक्शा हेतु बकाया शेष राशि बैंक से लोन के माध्यम से रिक्शा/आटो चालक को ऋण दिलवाया जावेगा, जिसका भुगतान हितग्राही द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित अवधि एवं ब्याज में देय होगा.
- बैंक द्वारा हितग्राही का लोन स्वीकृत किए जाने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर हितग्राही के खाते में मंडल द्वारा मंडल का अंशदान हस्तांतरित किया जावेगा.

(ii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना की पात्रता :—**

(i) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/आटो चालक.

(ii) पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष (रिक्शा चालक) आयु समूह की हो.

(iii) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आवश्यक.

(iv) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का संबंध में स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र आवश्यक.

(v) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक.

(vi) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा.

(vii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जावेगा.

(iv) योजना का आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अनुदान राशि रुपये 30,000/- हितग्राही को तभी प्राप्त होगा, जब हितग्राही द्वारा स्वयं का अंशदान एवं बकाया राशि के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध करायेगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त/नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की समिति होगी.

(ii) जिला स्तर समिति द्वारा स्वीकृति कर मंडल को अवगत कराने पर मंडल द्वारा अनुदान राशि प्रदाय की जावेगी.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

No. F 10-5/2016/16.—In exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 3 of Unorganized worker social security act, 2008 the State Government forms following scheme :—

(A) **Provisions of the Scheme :—**

(i) Name of the schedule will be "E-Rikshaw Sahayta Yojna".

- For the execution of the scheme Rs. 10,000/- will be borne by registered Unorganized labour himself/herself.
- Rs. 30,000/- will be given as a grant by C.G. Unorganized worker state social security board.
- Rest of the amount will be provided to the Rikshaw/Auto driver as a loan through bank, whose refund will be payable by the beneficiary in a set period and interest as suggested by the bank.
- Board will transfer its contribution in the account of beneficiary only when bank submits all the loan related documents to the board.

(ii) Scheme provisions will be effective from the date of notification.

(B) **Eligibility for Scheme :—**

(i) Cycle Rikshaw/Auto driver registered under C.G. Unorganized worker state social security board.

(ii) Age of registered workers shall not be less than 18 years or not be above 50 years.

(iii) Registered workers must have registration in R.T.O.

(iv) Registered workers must have commercial vehicle driver license (CDL) medical certificate issued by R.T.O.

(v) Workers must have registration at least before 90 days in C.G. Unorganized worker state social security board.

(vi) Benefit of scheme will be given only for once.

(vii) Benefit of scheme will not be given to any such beneficiary who had already received benefit of any other equivalent scheme by state government.

(C) **Process of Application for the scheme :—**

(i) Application should be self attested by applicant.

(ii) Registration number in C.G. Unorganized worker state social security board of beneficiary must be mentioned in application.

(iii) Application will be submitted in the office of Assistant labour Commissioner/Labour officer of the relevant district.

(iv) Contribution of C.G. Unorganized worker state social security board for the scheme Rs. 30,000/- will be provided to the beneficiary only when beneficiary himself/herself deposit his/her contribution and all the documents related with the loan will get submitted to the C.G. Unorganized worker state social security board.

(D) **Approval Authority :—**

(i) Under the scheme the approval authority will be a district level committee which is constituted with district magistrate, Asst. labour Commissioner/labour officer & Nagar Nigam commissioner/municipal council C.E.O.

(ii) When district level committee will aproved & sent the information regarding approval to the C.G. Unorganized worker state social security board than contribution of C.G. Unorganized worker state social security board will be transferred directly in the account of beneficiary.

(E) **Disposal of absurdity :—** If any absurdity occurs in the rules/regulations mentioned in the scheme, in that particular situation decision of Secretary, C.G. Unorganized worker state social security board will be final.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्रमांक/9007/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	कुसमी	कोरन्धा प.ह.नं. 30	1.780	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	व्यपवर्तन सिंचाई योजना (शीर्ष एवं नहर कार्य).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

क्रमांक 15764/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	राहा	0.178 हेक्टेयर	राहा-रावा मार्ग पर बनवार (जटाशंकर) नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, राहा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30-12-2016 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत राहा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	राहा-रावा मार्ग पर बनवार (जटाशंकर) नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 192.05 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 14 ग्रामों के लगभग 10677 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं इस हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

क्रमांक 15768/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जवाली	0.571 हेक्टेयर	जवाली-सिंघाली मार्ग पर खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, जवाली.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-12-2016 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत जवाली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जवाली-सिंघाली मार्ग पर खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 260.76 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 11 ग्रामों के लगभग 14295 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110534 दिनांक 02-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्रमांक 15891/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	सिंघाली	0.660 हेक्टेयर	जवाली-सिंघाली मार्ग पर खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, सिंघाली.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 6-1-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत सिंघाली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जवाली-सिंघाली मार्ग पर खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	07 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 260.76 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 11 ग्रामों के लगभग 14295 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110534 दिनांक 02-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्रमांक 15895/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	छिरहुट	0.344 हेक्टेयर	तेलसरा-छिरहुट मार्ग पर अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, छिरहुट.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-12-2016 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत छिरहुट नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	तेलसरा-छिरहुट मार्ग पर अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 305.80 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 09 ग्रामों के लगभग 8303 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110534 दिनांक 02-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्रमांक 15899/भू-अर्जन/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	तेलसरा	0.049 हेक्टेयर	तेलसरा-छिरहुट मार्ग पर अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, तेलसरा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31-12-2016 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत तेलसरा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	तेलसरा-छिरहुट मार्ग पर अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 305.80 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 09 ग्रामों के लगभग 8303 ग्रामवासी लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 110534 दिनांक 02-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	घुरनपाली प.ह.नं. 29	1.945	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नमदगिरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1308	0.080
	1310/3	0.016
	1310/2	0.008
योग		104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-महगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.583 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
942/4	0.02
943/4	0.04
943/5	0.09
1071/3	0.32
945	0.10
962/1	0.12
963	0.06
964	0.04
1086	0.13
965/1	0.02
965/2	0.04
965/3	0.06
968	0.04
966/1	0.11
967	0.04
969	0.06
970	0.05
971	0.04
973	0.10
972	0.08
965/4	0.04
1078/2	0.12
1079/1	0.08
1079/2	0.12
1085	0.17
1087	0.13
314/19	0.05
311/5	0.05
310/4	0.05
311/4	0.03
1080	0.12
314/17	0.03
314/18	0.033
योग	2.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 05/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सूरजपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
584/1	0.08
585/5	0.20
983	0.04
985	0.04
986	0.06

(1)	(2)
990	0.10
837/5	0.03
614	0.21
621/3	0.15
616/1	0.03
579	0.17
615	0.05
581	0.03
846	0.02
875	0.08
848/1	0.03
964	0.10
837/8	0.10
974/1	0.03
994/1	0.15
965	0.18
981	0.06
989/3	0.09
533/1	0.10
1010	0.36
589	0.16
591/2	0.04
848/3	0.03
870/2	0.15
840	0.08
847/2	0.16
535/1	0.23
1009	0.09
1007/1	0.07
533/2	0.13
584/2	0.04
845	0.17
874	0.18
980	0.04
984	0.04
975	0.01
1011	0.01
621/2	0.11
848/4	0.02
1013/4	0.04
871/1	0.04
1013/2	0.04
871/3	0.07
873/1	0.14
837/4	0.05
839/4	0.06
622	0.16
590/1	0.11
590/2	0.11
534	0.15
963	0.11
839/1	0.02
621/5	0.09
848/5	0.03
847/1	0.15
योग	5.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 06/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चंदरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/1	0.03
1065/2	0.06
13/2	0.13
512	0.29
14/2	0.02

(1)	(2)
15/1	0.03
776	0.18
26	0.08
17/14	0.07
24	0.03
25	0.14
32	0.17
33/4	0.02
519/3	0.27
519/4	0.12
17/12/2	0.02
542	0.04
514	0.25
544/1	0.02
546/7	0.05
813/1	0.01
819	0.09
1031	0.08
832	0.15
835	0.03
836	0.06
837	0.12
1067	0.02
813/2	0.14
777/1	0.10
777/2	0.05
778/2	0.04
779/2	0.10
780/5	0.06
1025/3	0.08
513/1	0.04
846/1	0.08
1013	0.02
1069	0.15
1063/1	0.05
1064/2	0.03
1066/1	0.04
1068	0.05
518	0.15
511	0.03
513/2	0.02
846/2	0.02
818	0.07
787/2	0.05
1030/2	0.13
1030/3	0.05
1030/1	0.04
16/3	0.02
17/10	0.14
1026/1	0.12
1026/2	0.01
1062/2	0.09
1062/1	0.09
14/1	0.13
1063/2	0.03
1065/1	0.01
1065/3	0.06
1032/2	0.20
15/2	0.06
775/4	0.06
812	0.12
775/5	0.04
33/1	0.10
33/3	0.21
योग	5.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/1	0.01
50/3	0.16
82/1	0.05
83	0.06
84/1	0.03
84/2	0.04
84/3	0.05
85/1	0.09
85/2	0.07
86	0.05
88/2	0.06
104/5 क	0.03
104/5 ख	0.03
123/2	0.01
130/2	0.05
131/3	0.06
131/4	0.04
131/2	0.08
132	0.11
133/5	0.05
229/2	0.10
230/5	0.16
230/6	0.05
233	0.14
235	0.29
247	0.05
248	0.18
509/2	0.10
510/1	0.07
510/2	0.08
513/6	0.03
513/7	0.05
513/8	0.10
540/6	0.11
539	0.10
540/2	0.11
540/3	0.11
522	0.18
523	0.08
527	0.02
528	0.16
513/2	0.22
50/9	0.10
50/7 ख	0.03
245	0.08
योग	3.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
528/1	0.02
671/2	0.03
528/2	0.02
461/2	0.03
464	0.06
675	0.05
677	0.14
674/2	0.02
671/1	0.03
525/1	0.03
527	0.02

(1)	(2)
679/2	0.09
700/1	0.04
529	0.06
673	0.04
463	0.05
676	0.10
669	0.01
672	0.05
674/1	0.02
640	0.01
526	0.02
योग	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 08/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तिलसिवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.204 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/6	0.090
2/10	0.069
190/1	0.070
2/26	0.060
2/3	0.140
2/9	0.290
198	0.022
200/1	0.030
220/2	0.110
641/1	0.020
641/2	0.046
641/4	0.020
632/1	0.038
632/2	0.036
632/3	0.036
639/1	0.020
519/6	0.307
517/1	0.055
630/1	0.038
630/2	0.170
640/1	0.048
1163/1	0.054
1163/2	0.087
1161/1	0.044
1188/2	0.036
1189/2	0.012
1162	0.061
1164/3	0.092
631/1	0.079
638/1	0.062
642/1	0.138
517/2	0.058
643	0.090
1187	0.080
1188/1	0.142
1189/1	0.078
1183	0.020
1184	0.020
6	0.100
1463	0.010
517/3	0.059
191	0.110
622/3	0.057
योग	3.204

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

रा.प्र.क्र. 09/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-सूरजपुर
   (ख) तहसील-सूरजपुर
   (ग) नगर/ग्राम-मानपुर
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.11
99	0.08
100	0.04
103/1	0.03
710	0.02
104	0.02
93/10	0.01
120/1	0.24
120/2	0.12
122	0.05
572/1	0.03
123	0.15
124	0.10
131/1	0.04
132	0.13
562/1 ख	0.01
562/2	0.08
562/1 क	0.02
732/3	0.07
563/1	0.05
563/2	0.10
563/3	0.02
732/5	0.06
572/2	0.05
573/1	0.01
573/2	0.01
582/2	0.03
573/3	0.02
581/1	0.06
582/1	0.01
586	0.03
587/1	0.03
618	0.03
619/1	0.02
714/1	0.08
714/2	0.02
620/2	0.01
621	0.01
623/2	0.02
623/1 ग	0.01
670	0.04
676	0.01
677	0.01
679/1	0.03
682/1	0.03
682/2	0.01
683/1	0.02
683/3	0.01
709	0.02
716	0.04
731	0.10
732/1	0.04
93/7	0.02
732/4	0.01
732/2	0.13
760/1	0.22
760/2	0.13
130/1 क	0.07
130/2 क	0.07
130/1 ग	0.07
587/3	0.03
93/6	0.03
93/9	0.01
93/8	0.01
95	0.01
योग	3.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्रमांक 08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-पसेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.243
12	0.182
13/4	0.071
341/3	0.016
33/2	0.087
111	0.101
212	0.149
215/2	0.041
257/1	0.049
289	0.016
178/2	0.089
181	0.008
379/17	0.084
379/20	0.041
1/15	0.081
29	0.016
250/8	0.061
343/3	0.107
36/1	0.181
112/1	0.016
173	0.016
220	0.121
257/2	0.049
291	0.162
301/3	0.081
340	0.008
379/6	0.040
387/9	0.049
1/17	0.060
245	0.101
15	0.113
387/8	0.049
37	0.016
168/1	0.121
177/4	0.133
221	0.081
256/1	0.041
379/464	0.061
301/4	0.081
338/3	0.136
387/1	0.049
306	0.048
1/18	0.081
13/1	0.070
249	0.065
28	0.222
36/2	0.028
172/1	0.093
179	0.101
267	0.182
264	0.032
286	0.012
450/2	0.081
345/2	0.016
379/11	0.049
3	0.320
13/2	0.070
222	0.012
33/1	0.087
42	0.182
346	0.081
246	0.032
293	0.032
282/2	0.141
213	0.445
304	0.064
379/8	0.016

(1)	(2)
379/12	0.040
378/4	0.016
13/3	0.070
27	0.172
175	0.162
165	0.020
347/1	0.093
303	0.162
250/5	0.061
283/3	0.097
187/2	0.098
305	0.020
379/15	0.061
377	0.210
257/3	0.049
250/7	0.061
215/4	0.100
244	0.141
176	0.120
174/2	0.283
180	0.174
250/4	0.061
256/2	0.041
185/1	0.085
219	0.016
379/7	0.057
379/2	0.100
योग	8.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रीरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्रमांक 23/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-भेलाईकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
208	0.101
207	0.060
202	0.012
206/2	0.045
201	0.075
205	0.058
योग	0.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुन्दु जलाशय योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्रमांक 30/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-दुन्दु
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362	0.024
362/782/2	0.057
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुन्दु जलाशय योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्रमांक 34/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-कोयलारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.664 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
622/1	0.024
799/1	0.053
815	0.041
818/2	0.020
483	0.081
859/8	0.041
352/1	0.049
623/1	0.024
807	0.077
625/1	0.032
601	0.073
373	0.073
492	0.020
351/2	0.045
366/4	0.036
488	0.065
541/2	0.045
814	0.065
374	0.089
785	0.061
366/2	0.053
540/2	0.032
800	0.077
542/2	0.024
801/1	0.065
819	0.045
806/1	0.057
540/4	0.032
598/1	0.045
354/3	0.045
670	0.053
623/2	0.024
801/3	0.061
624/1	0.028
352/3	0.024
599/1	0.101
559	0.093
674	0.053
598/2	0.049
806/2	0.065
627/1	0.069
667	0.020
626/1	0.129
339	0.073
675	0.028
626/2	0.049
354/1	0.057
668	0.069
351	0.045
540/1	0.085
योग	2.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगोली व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-केशलुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	606	0.01
	602	0.04
	601/618	0.01
योग	3	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेलवे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-खण्डसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	134/2	0.02
योग	1	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खण्डसरा-सोरगांव मार्ग के कि.मी. 1/6 में कोसारटेडा नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बस्तर
  (ख) तहसील-तोकापाल
  (ग) नगर/ग्राम-मण्डवा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17/1	0.16
	17/2	0.28
योग	2	0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेलवे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बस्तर
  (ख) तहसील-बस्तर
  (ग) नगर/ग्राम-कुड़कानार
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	368	0.09
	370	0.40
	374	0.05
	371	0.07
	372	0.08
	373	0.06
	358/1	0.09
	358/2	0.04
	359	0.02
	361	0.19
	362	0.12
योग	11	1.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाटपदमुर-कुड़कानार मार्ग के कि.मी. 2/8 में इंद्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बस्तर
  (ख) तहसील-तोकापाल
  (ग) नगर/ग्राम-मावलीभाटा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	186	0.09
	194	0.01
	197	0.10
	381/1	0.02
	381/2	0.02
	382/1	0.05
	382/2	0.05
	384	0.10
	383	0.01
योग	9	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल/उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्वी तट रेलवे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-पराली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	114	0.04
	106	0.20
योग	2	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाकरागुड़ा-छापरभानपुरी से बड़े चकवा मार्ग के कि.मी. 2/2 से 2/4 पर इंद्रावती नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-केशरपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	788	0.05
योग	1	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशरपाल-नंदपुरा मार्ग के कि.मी. 1/2 पर मारकण्डी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-नंदपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	112	0.07
	113	0.12
योग	2	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशरपाल-नंदपुरा मार्ग के कि.मी. 1/2 पर मारकण्डी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा मुंगेली (छ.ग.)

मुंगेली, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/4881/भू.अ./प.ह. पुनर्गठन/2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं किरण कौशल, कलेक्टर, मुंगेली, जिला मुंगेली के अंतर्गत तहसील मुंगेली के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करती हूं.

क्र.	तहसील का नाम	पुनर्गठित हल्काबंदी का स्वरूप		
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	केशलीकला	केशलीकला	केशलीकला
2.			लालपुर	
3.			माराडबरी	
4.			खुंटा वि.	
5.			बीजातराई	बीजातराई
6.			भूमियापारा	
7.	2	खैरा सेतगंगा	खैरा सेतगंगा	खैरा सेतगंगा
8.			गोरखपुर	
9.			सिंगारपुर	सिंगारपुर
10.			पडकीखुर्द	
11.			सारंगपुर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.			पंडोतरा	
13.			दुल्लापुर	
14.			सिपाही	सिपाही
15.	3	बोदा	बोदा	बोदा
16.			परसवारा	
17.			मदनपुर	
18.			रमईपुर	
19.			चमारी	
20.			भड़हा वि.	
21.			सेमरकोना	सेमरकोना
22.			भुरका	
23.			गांढ़ाघाट	
24.	4	छटन	छटन	छटन
25.			मानपुर वि.	
26.			दामापुर	दामापुर
27.			जुझारभाठा	
28.			चमारी	
29.			गिगतरा	
30.	5	दुल्लापुर	दुल्लापुर	दुल्लापुर
31.			सोनपुरी	
32.			खम्हरिया	
33.			मोतिमपुर	
34.			भरूवागुड़ा	
35.			मजगांव	
36.			चिचेसरा	
37.			लैकडुम	लैकडुम
38.			बुचीपारा	
39.			बुधवारा	
40.	6	कंतेली	कंतेली	कंतेली
41.			रानी उमरिया	
42.			बोधापारा	बोधापारा
43.			हरदीडीह	
44.			महादेवगढ़	
45.	7	छाता	छाता	छाता
46.			पतालकुण्डी	
47.			प्रतापपुर	प्रतापपुर
48.			दामापुर	
49.	8	हेड़सपुर	हेड़सपुर	हेडसपुर
50.			जैतपुरी	
51.			ढबहा	
52.			कोलिहाडीह	
53.			रीवापार	
54.	9	जमकोर	जमकोर	जमकोर
55.			उमरिया	
56.			झिलगाडीह वि.	
57.			बैहाकापा	बैहाकापा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
58.	10	देवरी	देवरी	देवरी
59.			संगवाकापा	संगवाकापा
60.	11	सुरदा	सुरदा	सुरदा
61.			ठाकुरकापा	
62.			नवागांव घु.	नवागांव (घु.)
63.	12	सुरीघाट	सुरीघाट	सुरीघाट
64.			घुठेरा	
65.			देवगांव	देवगांव
66.	13	चातरखार	चातरखार	चातरखार
67.			बाघामुड़ा	
68.			फंदवानी	फंदवानी
69.			बरईदहरा	
70.	14	गस्तीकापा	गस्तीकापा	गस्तीकापा
71.			शीतलदह	
72.			गोपतपुर	गोपतपुर
73.			बिझौरी	
74.			फंदवानी कांपा	
75.			रमईपुर वि.	
76.	15	दाबो	दाबो	दाबो
77.			बहरपुर	
78.			सिल्ली	सिल्ली
79.			नवागांव मु.	
80.			बैहरसरी	
81.			कैथ नवागांव	
82.	16	नागोपहरी	नागोपहरी	नागोपहरी
83.			तालम	
84.			झिटकनिया	
85.			किंगरियापारा	
86.			विचारपुर	विचारपुर
87.			सोनपुरी	
88.	17	राजपुर	राजपुर	राजपुर
89.			रजपालपुर	
90.			केहरपुर	
91.			सनकपाट	
92.			डोंगरी वि.	
93.			पौनी	पौनी
94.	18	जल्ली	जल्ली	जल्ली
95.			कंचनपुर	
96.			चिरौंजपुर	
97.			डोंडा	डोंडा
98.			कोलिहाडीह	
99.			चापतरा	
100.	19	मुड़पार	मुड़पार	मुड़पार
101.			दुल्लापुर	
102.			तुमड़ी	
103.			झलियापुर	झलियापुर
104.			अचानकपुर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105.			जुनवानी	
106.			ठेंगा	
107.	20	भालापुर	भालापुर	भालापुर
108.			नारायणपुर	नारायणपुर
109.			केसली	
110.	21	लछनपुर	लछनपुर	लछनपुर (अ)
111.			अनंतपुर	
112.			सिंघनपुरी	
113.			सेनगांव वि.	
114.			टेढ़ाधौरा	टेढ़ाधौरा
115.			भगतपुर वि.	
116.	22	भीमपुरी	भीमपुरी	भीमपुरी
117.			चुचरूंगपुर	
118.			उसलापुर	
119.			मानपुर	
120.			हरियरपुर	हरियरपुर
121.			बोधीपारा	
122.			केसतरा	
123.			फागूपारा	
124.	23	कारेसरा	कारेसरा	कारेसरा
125.			छुईहा	
126.			झलियापुर वि.	
127.			तरवरपुर	
128.			उदका	
129.			बैहाकापा	
130.			ठाकुरकापा	
131.	24	बांकी	बांकी	बांकी
132.			जैतपुरी	
133.			सोनपुरी	सोनपुरी
134.			शीतलकुंडा	
135.			चमारी	चमारी
136.			टिंगीपुर	
137.			तुलसीकापा	
138.			ढकेलकापा वि.	
139.	25	चकरभठा	चकरभठा	चकरभठा
140.			पलानसरी	पलानसरी
141.			भदराली	
142.			मानपुर	मानपुर
143.			बोड़तरा	
144.			बहरमुड़ा	
145.	26	निरजाम	निरजाम	निरजाम
146.			डौकीदह	
147.			धनगांव (च.)	धनगांव (च)
148.			चलान	
149.			दामापुर	
150.	27	संबलपुर	संबलपुर	संबलपुर
151.			भैसामुड़ा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
152.			जंगलपुर	
153.			कोलिहा	
154.			चो. बुंदेली	
155.			करूपान	करूपान
156.			बामपारा	
157.	28	लिलवाकापा	लिलवाकापा	लिलवाकापा
158.			रामाकापा	
159.			दुलहिनबाय	
160.			हेड़सपुर	
161.			रेहुंटा	रेहुंटा
162.			कामता	
163.	29	मुंगेली	मुंगेली	नगरपालिका
164.	30	करही	करही	करही
165.			भर्राकुण्डा	
166.			चमारी	
167.			रामगढ़	रामगढ़
168.	31	चारभाठा	चारभाठा	चारभाठा
169.			मदनपुर	
170.			खुजहा	खुजहा
171.			झुलनाखुर्द	
172.			बिरगांव	
173.	32	कोदवाबानी	कोदवाबानी	कोदवाबानी
174.			पेण्ड्री वि.	
175.			खुर्शी	खुर्शी
176.			निपनिया	
177.			मुढ़िया	
178.	33	भठकलीकला	भठकलीकला	भठलीकला
179.			झझपुरीखुर्द	झझपुरीखुर्द
180.			भठलीखुर्द	
181.	34	लोहड़िया	लोहड़िया	लोहड़िया
182.			रामपुर	
183.			धनगांव (गो.)	धनगांव (गो.)
184.			खैरवार (नि.)	
185.	35	कोना	कोना	कोना
186.			घुण्डूकापा	घुण्डूकापा
187.			पचोटिया	
188.			कोसमा	कोसमा
189.			भुसण्डी	
190.	36	सेमरचुवा	सेमरचुवा	सेमरचुवा
191.			ठकुरीकापा	ठकुरीकापा
192.			कुरानकापा	कुरानकापा
193.			तरईगांव	
194.			लोहराकापा	
195.	37	बरेला	बरेला	बरेला
196.			भथरी	भथरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
197.	38	पदमपुर	पदमपुर	पदमपुर
198.			केशरूवाडीह	केशरूवाडीह
199.			सोल्हाबेल्हा	
200.	39	फुलवारी	फुलवारी	फुलवारी
201.			तोताकापा	
202.			बिरगांव	बिरगांव
203.	40	दाउकापा	दाउकापा	दाउकापा
204.			चितवाकापा	
205.			बिरगहनी	बिरगहरी
206.			खम्हरिया	खम्हरिया
207.	41	जरहागांव	जरहागांव	जरहागांव
208.			छतौना	छतौना
209.			पेण्ड्रीडीह	
210.			बुचवाकापा	
211.	42	फरहदा	फरहदा	फरहदा
212.			पिपरपारा वि.	
213.			नोहरकापा वि.	
214.			खाम्हीकुर्मी	खाम्हीकुर्मी
215.			मोतिमपुर	
216.	43	दशरंगपुर	दशरंगपुर	दशरंगपुर
217.			किशनपुर	
218.			टिंगीपुर वि.	
219.			डोमनपुर	डोमनपुर
220.	44	सोढ़ार	सोढ़ार	सोढ़ार
221.			कुआगांव	कुआगांव
222.		धरमपुरा	धरमपुरा	धरमपुरा
223.			रोहरा खुर्द	रोहरा खुर्द
224.			जोगीपुर	
225.	46	लिम्हा	लिम्हा	लिम्हा
226.			गीधा	गीधा
227.	47	लालाकापा	लालाकापा	लालाकापा
228.			मौहामड़वा	
229.			लछनपुर	
230.			खैरवार	खैरवार
231.			पालचुवा	पालचुवा
232.			नुनियाकछार	
233.			भादूकापा	
234.	48	कोदूकापा	कोदूकापा	कोदूकापा
235.			बरबसपुर	
236.			कोयलारी वि.	
237.			जेठूकांपा	
238.			बुंदेली	बंदेली
239.	49	टेमरी	टेमरी	टेमरी
240.			कनौजियाकापा	
241.			कौहाबांधा वि.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
242.			नवागांव	नवागांव (टे.)
243.			सिंगबांधा	सिंगबांधा
244.			गुना	
245.	50	पुरान	पुरान	पुरान
246.			जैतरमी	
247.			कोहड़िया	कोहड़िया
248.			औराबांधा	
249.			रजपुरा	
250.	51	चिरहुला	चिरहुला	चिरहुला
251.			घुठेली	घुठेली
252.			भरदा	
253.			लोकईपुर	
254.	52	पंडरभठा	पंडरभठा	पंडरभठा
255.			लछनपुर (की)	लछनपुर (की)
256.			कंवलपुर	
257.			किरना	किरना
258.	53	बलौदी	बलौदी	बलौदी
259.			मजगांव	
260.			गिधपुरी	
261.			चीनू	
262.			नवांगांव (चि.)	नवांगांव (चि.)
263.			माना	
264.			जमहा	
265.			भांचा	
266.	54	बरदुली	बरदुली	बरदुली
267.			पिथमपुर	पिथमपुर
268.	55	देवरी	देवरी	देवरी
269.			खपरी	
270.			खेढ़ा	खेढ़ा
271.	56	नेवासपुर	नेवासपुर	नेवासपुर
272.			चन्द्रपुर (वि.)	
273.			घोरपुरा	घोरपुरा
274.	57	धपई	धपई	धपई
275.			खलबोरवा	
276.			करही	करही
277.			छीतापुर	
278.	58	अमलीडीह	अमलीडीह	अमलीडीह
279.			झगरहट्टा	
280.			नवागांव (ग.)	
281.			सुरेठा	
282.			मोहतरा	

मुंगेली, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/4881/भू.अ./प.ह. पुनर्गठन/2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं किरण कौशल कलेक्टर मुंगेली, जिला मुंगेली के अंतर्गत तहसील पथरिया के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करती हूं.

क्र.	तहसील का नाम	पुनर्गठित हल्कांदी का स्वरूप			कैफियत
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पथरिया	1 भटगांव	भटगांव	भटगांव	
2.			बभुरहाडीह		
3.			बछेरा	बछेरा	
4.		2 हथनीकला	हथनीकला	हथनीकला	
5.			ढोठमा	ढोठमा	
6.		3 डाडगांव	डाडगांव	डाडगांव	
7.			गोइन्द्री	गोइन्द्री	
8.		4 गोइन्द्रा	गोइन्द्रा	गोइन्द्रा	
9.			टेंगनागढ़		
10.			तराईकापा		
11.			बैजना	बैजना	
12.		5 पथरिया	पथरिया	पथरिया (न.पं.)	
13.			चोरभट्ठी		
14.			लौदापारा		
15.			डंगनिया (विरान)		
16.			भीमपुरी		
17.			लछनपुर (विरान)		
18.		6 सोनपुरी	सोनपुरी	सोनपुरी	
19.			जमकुही		
20.			जगताकापा	जगताकापा	
21.			खैरी		
22.		7 सिलतरा	सिलतरा	सिलतरा	
23.			भूलनकापा		
24.			कपुवा	कपुवा	
25.			चन्दरगढ़ी		
26.		8 जोता	जोता	जोता	
27.			नहना		
28.			हरदी		
29.			पथरगढ़ी	पथरगढ़ी	
30.			पुटपुरा		
31.			भठली		
32.			बेडहाकापा		
33.		9 छिन्दभोग	छिन्दभोग	छिन्दभोग	
34.			सकेरी		
35.			कान्हरपुर		
36.			खपरी	खपरी	
37.			ढोढापुर		
38.			ईसराकापा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39.		10 भरेवा	भरेवा	भरेवा	
40.			पौंसरी	पौंसरी	
41.			पीड़ा		
42.		11 जरेली	जरेली	जरेली	
43.			पेन्ड्री (ज)		
44.			पेटुलकापा	पेटुलकापा	
45.			देवरी		
46.			केवईया		
47.		12 मुण्डादेवरी	मुण्डादेवरी	मुण्डादेवरी	
48.			जुनवानी	जुनवानी	
49.			दलपुरवा		
50.			अमलडीहा	अमलडीहा	
51.			डाकाचाका		
52.		13 पुछेली	पुछेली	पुछेली	
53.			कोकड़ी	कोकड़ी	
54.			मझरेटा		
55.		14 लौदा	लौदा	लौदा	
56.			खपरी		
57.			कंचनपुर		
58.			खैरझिटी		
59.			टोनहीचुवां		
60.		15 बरदुली	बरदुली	बरदुली	
61.			केवटाडीह		
62.			जेवरा	जेवरा	
63.			हथनीखुर्द		
64.			मोतिमपुर	मोतिमपुर	
65.		16 अमलीकापा	अमलीकापा	अमलीकापा	
66.			तरकीडीह	तरकीडीह	
67.			परसाकापा		
68.		17 अमोरा	अमोरा	अमोरा	
69.			नवागांव		
70.			भिलाई	भिलाई	
71.		18 कुकुसदा	कुकुसदा	कुकुसदा	
72.			रौनाकापा	रौनाकापा	
73.			कोड़पुरी		
74.			लाटा		
75.		19 सकेत	सकेत	सकेत	
76.			कान्हरकापा		
77.			परसिया	परसिया	
78.		20 चंदली	चंदली	चंदली	
79.			तुमाढेटा	तुमाढेटा	
80.			झुलनाकला		
81.		21 पड़ियाईन	पड़ियाईन	पड़ियाईन	
82.			रोहरकला	रोहरकला	
83.		22 धरदेई	धरदेई	धरदेई	
84.			डिघोरा	डिघोरा	
85.			चिरौटी	चिरौटी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86.		23 सिलदहा	सिलदहा	सिलदहा	
87.			घुठेली	घुठेली	
88.		24 बेलखुरी	बेलखुरी	बेलखुरी	
89.			लमती	लमती	
90.			मचहा		
91.			त्रिभुवनपुर		
92.		25 कलारजेवरा	कलारजेवरा	कलारजेवरा	
93.			खुटेरा	खुटेरा	
94.		26 मर्राकोना	मर्राकोना	मर्राकोना	
95.			पिपरलोड		
96.			बदरा (ब)	बदरा (ब)	
97.		27 बावली	बावली	बावली	
98.			हथकेरा	हथकेरा	
99.		28 उमरिया	उमरिया	उमरिया	
100.			ककेड़ी	ककेड़ी	
101.		29 दौना	दौना	दौना	
102.			बिरकोनी	बिरकोनी	
103.		30 अण्डा	अण्डा	अण्डा	
104.			टिकैत पेन्ड्री	टिकैत पेन्ड्री	
105.			दानी पेन्ड्री		
106.		31 रामबोड़	रामबोड	रामबोड़	
107.			खम्हारडीह		
108.			मोहदी	मोहदी	
109.			लुकउकापा		
110.		32 सरगांव	सरगांव	सरगांव न.पं.	
111.			खपरी		
112.		33 बिदबिदा	बिदबिदा	बिदबिदा	
113.			रमतला	रमतला	
114.			खरसोला		
115.		34 मोहभट्ठा	मोहभट्ठा	मोहभट्ठा	
116.			चुनचुनिया	चुनचुनिया	
117.			करही	करही	
118.		35 सांवतपुर	सांवतपुर	सांवतपुर	
119.			खजुरी	खजुरी	
120.			नगपुरा	नगपुरा	
121.			मोतिमपुर		
122.		36 किरना	किरना	किरना	
123.			धूमा	धूमा	
124.			देवाकर		
125.			बारगांव		
126.		37 हिन्छापुरी	हिन्छापुरी	हिन्छापुरी	
127.			कचरबोड़		
128.			पेन्ड्री (स)	पेन्ड्री (स)	
129.			खैरा	खैरा	
130.			मदवानी		
131.		38 चन्द्रखुरी	चन्द्रखुरी	चन्द्रखुरी	
132.			घुठिया	घुठिया	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133.		39 दरूवनकापा	दरूवनकापा	दरुवनकापा	
134.			झगरकापा		
135.			लमती		
136.			बासीन	बासीन	
137.			ढेलकी		
138.			मदकू	मदकू	
139.			बड़ियाडीह		
140.		40 बरछा	बरछा	बरछा	प्रस्तावित हल्का
141.			बगबुडवा	बगबुडवा	
142.			गधीरवाडीह		
143.		41 गंगद्वारी	गंगद्वारी	गंगद्वारी	प्रस्तावित हल्का
144.			परसदा	परसदा	
145.		42 सेंदरी	सेंदरी	सेदरी	प्रस्तावित हल्का
146.			पोडी		
147.			सोढी (नि.)	सोढी (नि.)	
148.			बरछा		
149.		43 साढी (म.)	सोढी (म.)	सोढी (म.)	प्रस्तावित हल्का
150.			मोहभट्ठा	मोहभट्ठा	
151.		44 पकरिया	पकरिया	पकरिया	प्रस्तावित हल्का
152.			बदरा (ठा)	बदरा (ठा)	
153.		45 सावा	सावा	सावा	प्रस्तावित हल्का
154.			लोहदा		
155.			तोरला	तोरला	
156.			लखुवाडीह		
157.		46 सल्फा	सल्फा	सल्फा	प्रस्तावित हल्का
158.			भखुरीडीह		
159.			धमनी	धमनी	

मुंगेली, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्रमांक/4881/भू.अ./प.ह. पुनर्गठन/2016.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं किरण कौशल कलेक्टर मुंगेली, जिला मुंगेली के अंतर्गत तहसील मुंगेली के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करती हूं.

क्र.	तहसील का नाम	पुनर्गठित हल्काबंदी का स्वरूप			कैफियत
		प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोरमी	1 कठौतिया	कठौतिया	कठौतिया	
2.			भूतकछार		
3.			मलकछरी		
4.			झिरिया	झिरिया	
5.			सरगढ़ी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.		2 डिंडौरी	डिंडौरी	डिंडौरी	
7.			नवरंगपुर	नवरंगपुर	
8.		3 झलरी	झलरी	झलरी	
9.			चचेड़ी		
10.			कारीडोंगरी	कारीडोंगरी	
11.			कंसरा		
12.			न्यू साम्भरधसान		
13.			न्यू बांकल		
14.			न्यू बोकरा कछार		
15.		4 अखरार	अखरार	अखरार	
16.			धनियाडोली	धनियाडोली	
17.		5 दरवाजा	दरवाजा	दरवाजा	
18.			कंसरी		
19.			घानाघाट	घानाघाट	
20.			छिन्दपुर		
21.		6 कोदवामहन्त	कोदवामहन्त	कोदवामहन्त	
22.			बघर्रा	बघनीभांवर	
23.			बघनीभांवर		
24.			जमुनाही		
25.		7 चेचानडीह	चेचानडीह	चेचानडीह	
26.			बांधी		
27.			मोहबंधा		
28.			कोसाबाड़ी	कोसाबाड़ी	
29.			कंचनपुर		
30.		8 लाखासार	लाखासार	लाखासार	
31.			नवागांव झोत्था		
32.			रहंगी	रहंगी	
33.			भारतपुर		
34.		9 डोगरिया	डोगरिया	डोगरिया	
35.			उरईकछार	उरईकछार	
36.		10 सारिसताल	सारिसताल	सारिसताल	
37.			हरदीबांधा	हरदीबांधा	
38.		11 साल्हेघोरी	साल्हेघोरी	साल्हेघोरी	
39.			पथर्री	पथर्री	
40.			लंघवाटोला		
41.		12 तिलकपुर	तिलकपुर	तिलकपुर	
42.			करूहानार		
43.			फौजदारकापा		
44.			मनकी	मनकी	
45.			पीथमपुर		
46.		13 राम्हेपुर (एन)	राम्हेपुर (एन)	राम्हेपुर (एन)	
47.			आछीडोंगरी	आछीडोंगरी	
48.		14 लीलापुर	लीलापुर	लीलापुर	
49.			लालसाय कापा		
50.			लाखापुरी		
51.			भस्करा	भस्करा	
52.			खैराखूर्द		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53.		15 फुलवारी (एफ)	फुलवारी (एफ)	फुलवारी (एफ)	
54.			फुलझर	फुलझर	
55.			कुटेलाटोला		
56.		16 धरमपुरा	धरमपुरा	धरमपुरा	
57.			सेनगुड़ा	सेनगुड़ा	
58.			घाठापानी		
59.			खपरीखुर्द		
60.		17 पथर्रा	पथर्रा	पथर्रा	
61.			रैतराखूर्द		
62.			मोहनपुर	मोहनपुर	
63.			चरनीटोला		
64.			जुनापानी		
65.		18 गोंड़खाम्ही	गोंड़खाम्ही	गोंड़खाम्ही	
66.			अमलडीही	अमलडीही	
67.		19 झझपुरीकला	झझपुरीकला	झझपुरीकला	
68.			सरईपतेरा	सरईपतेरा	
69.		20 ढोलगी	ढोलगी	ढोलगी	
70.			गुनापुर		
71.			लपटी	लपटी	
72.			रेहूंटा		
73.		21 बुधवारा	बुधवारा	बुधवारा	
74.			तुलसाघाट		
75.			परसवारा	परसवारा	
76.		22 पेण्ड्रीतालाब	पेन्ड्री तालाब	पेन्ड्री तालाब	
77.			टिंगीपुर		
78.			न्यू जलदा		
79.			नवागांव वेंकट	नवागांव वेंकट	
80.			बिठलदह		
81.		23 लोरमी	लोरमी	न.प.लोरमी	
82.			राम्हेपुर		
83.			गदहीडीह		
84.			मजगांव		
85.		24 सारधा	सारधा	सारधा	
86.			महरपुर		
87.			तेलीखाम्ही	तेलीखाम्ही	
88.			घोरबंधा		
89.		25 मुछेल	मुछेल	मुछेल	
90.			सिलतरा		
91.			गांड़ाटोला	गांड़ाटोला	
92.			गोविन्दपुर		
93.		26 बोड़तराकला	बोड़तराकला	बोड़तराकला	
94.			हरदी	हरदी	
95.			खेकतरा		
96.		27 खैरवारखूर्द	खैरवारखूर्द	खैरवारखूर्द	
97.			परदेशीकापा		
98.			नथेलापारा	नथेलापारा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99.			दाढ़ीपारा		
100.			रगियापारा		
101.			कन्हारपुर (वि)		
102.		28 चिल्फी	चिल्फी	चिल्फी	
103.			सहसपुर		
104.			बैजलपुर	बैजलपुर	
105.			घठोली	घठोली	
106.			गोल्हापारा		
107.			मेघापारा		
108.		29 लगरा	लगरा	लगरा	
109.			खुपरीकला	खपरीकला	
110.			डूमरहा		
111.		30 कोसमतरा	कोसमतरा	कोसमतरा	
112.			साल्हेघोरी	सोल्हेघारी	
113.			रैतराकला		
114.		31 बघमार	बघमार	बघमार	
115.			नवागांव ठेलका	नवागांव ठेलका	
116.			गातापार	गातापार	
117.			अमलीडीह		
118.		32 मोहडंडा	मोहडंडा	मोहडंडा	
119.			बेलसरी		
120.			घोसर्रा		
121.			कोयलारी	कोयलारी	
122.		33 डिंडौरी	डिंडौरी	डिंडौरी	
123.			चिखलदह		
124.			सुरजपुरा	सुरजपुरा	
125.			अमलीडीह		
126.		34 फुलवारी कला	फुलवारीकला	फुलवारीकला	
127.			फुलवारीखूर्द		
128.			विचारपुर		
129.			गोरखपुर	गोरखपुर	
130.			भाकुरकापा		
131.		35 रजपालपुर	रजपालपुर	रजपालपुर	
132.			गैलूगांव		
133.			ईलचपुर		
134.			भालूखोंदरा	भालूखोंदरा	
135.		36 जोतपुर	जोतपुर	जोतपुर	
136.			दाउकापा	दाउकापा	
137.			चकला	चकला	
138.			छीतापार		
139.		37 बरमपुर	बरमपुर	बरमपुर	
140.			उजियारपुर	उजियारपुर	
141.			बरियारपुर		
142.			धोधापारा		
143.		38 धौंराभांठ	धौंराभांठ	धौंराभांठ	
144.			राम्हेपुर जे	राम्हेपुर जे	
145.			झिरवन		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
146.		39 बंधवा	बधंवा	बंधवा	
147.			पेन्ड्री तालाब बी	पेन्ड्री तालाब बी	
148.			बरबसपुर		
149.		40 मनोहरपुर	मनोहरपुर	मनोहरपुर	
150.			खपरीडीह		
151.			राजपुर	राजपुर	
152.			कंचनपुर		
153.		41 परसाकापा	परसाकापा	परसाकापा	
154.			बिजराकापाखूर्द	बिजराकापाखूर्द	
155.			झोका		
156.			डेरहाकापा		
157.			केस्तरपुर		
158.		42 कुधुरताल	कुधुरताल	कुधुरताल	
159.			दयालपुर		
160.			इंदलपुर		
161.			गोपालपुर		
162.			मोहतरा तेली	मोहतरा तेली	
163.			नवापारा		
164.			कबराटोला		
165.		43 चंदली	चंदली	चंदली	
166.			बरबसपुर		
167.			झाफल	झाफल	
168.		44 सेमरिया	सेमरिया	सेमरिया	
169.			कुसुमकुण्डा		
170.			डिण्डोल		
171.			महरपुर		
172.			पुटूपतेरा		
173.			चन्दपुर		
174.		45 विचारपुर	विचारपुर	विचारपुर	
175.			पीथमपुर		
176.			लछनपुर	लछनपुर	
177.		46 सुकली	सुकली	सुकली	
178.			लालपुर कला	लालपुर कला	
179.			नवागांव जैत		
180.		47 पैजनिया	पैजनिया	पैजनिया	
181.			कोतरी	कोतरी	
183.			ठरकपुर		
183.		48 खेकतरा	खेकतरा	खेकतरा	
184.			दादनकापा		
185.			रबेली	रबेली	
186.			नवरंगपुर		
187.		49 पिपरखूंटा	पिपरखूंटा	पिपरखूंटा	
188.			तुरवारी		
189.			मसना	कसना	
190.			मसनी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
191.		50 औराबांधा	औराबांधा	औराबांधा	
192.			पिपरखूंटी	पिपरखूंटी	
193.			हडगांव		
194.			नवलपुर		
195.		51 बैगाकापा	बैगाकापा	बैगाकापा	
196.			धोबघटठी	धोबघट्ठी	
197.			छिरहुटी		
198.			नारायणपुर	नारायणपुर	
199.			करीलकुण्डा		
200.		52 लालपुर थाना	लालपुर थाना	लालपुर थाना	
201.			सारंगपुर		
202.			मानपुर		
203.			सुखाताल		
204.			शीतलपुर		
205.			मारूकापा		
206.			सांवतपुर	सावंतपुर	
207.			सिंगारपुर		
208.			पथरताल		
209.		53 गुरूवाईनडबरी	गुरूवाईनडबरी	गुरूवाईनडबरी	
210.			गैजी	गैजी	
211.		54 बिजराकापा कला	बिजराकापा कला	बिजराकापा कला	
212.			बोइरपारा	बोइरपारा	
213.			सुरेठा		
214.		55 देवरहट	देवरहट	देवरहट	
215.			कुम्हरौली	कुम्हरौली	
216.			पठारीकापा		
217.		56 मोहतरा कुर्मी	मोहतरा कुर्मी	मोहतरा कुर्मी	
218.			तेलियापुरान	तेलियापुरान	
219.			कौहाबांधा		
220.		57 सेमरसल	सेमरसल	सेमरसल	
221.			बटहा		
222.			नवागांव (ब)		
223.		58 सिंघनपुरी	सिंघनपुरी	सिंघनपुरी	प्रस्तावित हल्का
224.			मानिकपुर		
225.			बंशापुर		
226.			भाठा	भाठा	
227.			कुकुरहट्टा		
228.		59 करनकापा	करनकापा	करनकापा	प्रस्तावित हल्का
229.			कलमीडीह	कलीडीह	
230.			गाडापारा		
231.			रतियापारा		
232.		60 हरनाचाका	हरनाचाका	हरनाचाका	प्रस्तावित हल्का
233.			बांधा	बांधा	
234.		61 छपरवा	छपरवा	छपरवा	प्रस्तावित हल्का
235.			बिंदावल		
236.			तिलईडबरा		
237.			लमनी	लमनी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
238.			रंजकी		
239.			अतरियाखार		
240.			छिरहट्टा		
241.			बिरारपानी		
242.		62 महामाई	महामाई	महामाई	प्रस्तावित हल्का
243.			डगनिया		
244.			बिसौनी		
245.			सरसोहा		
246.			निवासखार	निवासखार	
247.			जाकडबांधा		
248.		63 बिजराकछार	बिजराकछार	बिजराकछार	प्रस्तावित हल्का
249.			मौहामाचा		
250.			सलगी		
251.			चकदा		
252.			मंजूरहा		
253.			बोईरहा	बोईरहा	
254.			पटपरहा		
255.			औरापानी		
256.			राजक		
257.		64 अचानकमार	अचानकमार	अचानकमार	प्रस्तावित हल्का
258.			शिवलखार		
259.			दानवखार		
260.			सारसडोल		
261.			सिहावल		
262.			कटामी	कटामी	
263.			बम्हनी		
264.		65 खुडियां	खुडियां	खुडियां	प्रस्तावित हल्का
265.			न्यु बहाउड		
266.			सुरही	सुरही	
267.			जमुनाही		
268.			अतरिया		
269.		55 डोगरीगढ़	डोंगरीगढ़	डोगरीगढ़	प्रस्तावित हल्का
270.			दुल्लापुर		
271.			नवागांव दयाली	नवागांव दयाली	

किरण कौशल,
कलेक्टर.